

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (निवास)  
फैक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail :  
jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website :  
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 4302


दिनांक : 24/12/11

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार बिहारी महाविद्यालय, अटेर रोड़, भिण्ड को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. (हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान, आ.पा.), बी.कॉम., बी.एस-सी. (भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति, प्राणिकी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कम्प्यूटर साइंस, आ.पा.), बी.पी.एड., बी.एच.एस-सी., एम.एस-सी. (वनस्पति एवं कम्प्यूटर साइंस), एम.ए. (समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान), एम.एच.एस-सी. (फूड एण्ड न्यूट्रीशन) एवं बी.सी.ए. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

### शर्तें/प्रतिबंध :-

1. पुस्तकालय में विषय अनुसार प्रत्येक विषय की 25 अन्य शीर्षक (पुस्तकें) क्रय करें।
2. बी.एच.एस.सी., एम.एच.एस.सी. की प्रयोगशाला को और सशक्त करें, एवं पाठ्यक्रम अनुसार उपकरण क्रय करें।
3. बी.एस.सी., एम.एस.सी. के सभी विषयों में पाठ्यक्रम अनुसार प्रयोगशाला में उपकरण क्रय कर Statute 27,28 अनुसार सुसज्जित करें।
4. महाविद्यालय में प्रत्येक विषय में, विश्वविद्यालय के पूर्व पत्र एफ/सम्बद्धता/2009/42 दिनांक 06.03.2009 के अनुसार सीटें निर्धारित की जाय।
5. महाविद्यालय में 28(17) के अन्तर्गत, समस्त विषयों में शीघ्र नियुक्तियाँ की जाय।

आदेशानुसार  
  
कुलसचिव

### प्रति,

1. प्राचार्य, बिहारी महाविद्यालय, अटेर रोड़, भिण्ड।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
सहा.-कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे ज कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पत्र में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे साविधा हो।



ग्राम : पूनीवासिरी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
          (0751) 2442633  
फैक्स : 915 214 118

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/L1403

दिनांक: 17/01/12

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध बिहारी महाविद्यालय, अट्टर रोड, भिण्ड (07534-233784) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. (हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान, आ.पा.), बी.कॉम., बी.एस-सी. (भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति, प्राणिकी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कम्प्यूटर साइंस, आ.पा.), बी.पी.एड., बी.एच.एस-सी., एम.एस-सी. (वनस्पति एवं कम्प्यूटर साइंस), एम.ए. (समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान), एम.एच.एस-सी. (फूड एण्ड न्यूट्रीशन) एवं बी.सी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. एस.के. शुक्ला, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442633)
- (2) प्रो. उमेश होलानी, आचार्य वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- (3) प्रो. ए.के. हल्चे, आचार्य, रसायन विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (4) डॉ. एस.के. गुप्ता, उपाचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (5) डॉ. मंजू दुबे, आचार्य, शा. के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचय 27(10) के प्रावधानों के अनुसार महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वास्तु शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुभूति/अनुभवित प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीडा परिसर एवं पाठ्यक्रम आर्किवेंस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मध्य प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करावें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं कराता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिचय 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)